



संदर्भ: आईआरडीएआई/आईआईडी/जीडीएल/विविध/225/10/2022

Ref: IRDAI/IID/GDL/MISC/225/10/2022

दिनांक / Dated: 26.10.2022

परिपत्र
Circular

प्रति/To,
सभी साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता
All General and Health Insurers

विषय: एएमएल/सीएफटी संबंधी मास्टर दिशानिर्देश 2022 - कार्यान्वयन के लिए समय का विस्तार

Sub: Master Guidelines on AML/CFT 2022 - extension of time for Implementation

यह सं. आईआरडीएआई/आईआईडी/जीडीएल/विविध/160/8/2022 दिनांक 1 अगस्त 2022 के अनुसार जारी किये गये धन-शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने (एएमएल/सीएफटी) संबंधी मास्टर दिशानिर्देश, 2022 संदर्भ में है।

This has reference to Master Guidelines on Anti-Money Laundering/Counter Financing of Terrorism (AML/CFT), 2022 issued vide ref. IRDAI/IID/GDL/MISC/160/8/2022 dated 1st August 2022.

2. उक्त दिशा-निर्देशों के पैरा 2.3 के अनुसार, उक्त दिशा-निर्देश 1 नवंबर 2022 से प्रवृत्त होंगे।

As per the para 2.3 of the Guidelines, the Guidelines would come into force from 1st November 2022.

3. तथापि, प्राधिकरण को उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा बढ़ाने के लिए साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

However, the Authority has received requests from General and Health insurers to extend the timeline for implementation of the stated guidelines.

4. उपर्युक्त अनुरोध पर विचार करते हुए, यह सूचित किया जाता है कि उक्त दिशा-निर्देश साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के लिए 1 जनवरी 2023 से प्रवृत्त होंगे।

Considering the above request, it is informed that the Guidelines will come into force from 1st January 2023 for General and Health insurers.

हस्ता. / Sd/-

(रणदीप सिंह जगपाल / Randip Singh Jagpal)

(कार्यकारी निदेशक / Executive Director)